न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 80/2012 G.C.M.S. No. 2012/00151 दर्ज दिनांक : 21.11.2012

अपीलार्थिगण:

1. मोहन पुत्र जगता, जाति मेणा, निवासी सेवाड़ी, तहसील बाली व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. रूगा पुत्र जगता, जाति मेणा निवासी सेवाड़ी
2. जतनो बेवा जगता जाति मेणा निवासी सेवाड़ी
3. भरतकुमार गोदपुत्र कलूदेवी बेवा तगाराम जी मेणा निवासी सेवाड़ी, तहसील बाली व जिला पाली।
4. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार बाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर बाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 69/2009 बअनवान मोहन बनाम रूगा वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.08.2011 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

उपस्थित– 1. श्री मोहम्मद शरीफ काजी, श्री गजेन्द्रसिंह मेड़तिया, विद्वान अभिभाषक अपीलांट

2. श्री नरेन्द्रसिंह मालावत, श्री आनंदसिंह चौहान, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

निर्णय

दिनांक: 10.06.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर बाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 69/2009 बअनवान मोहन बनाम रूगा वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.08.2011 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह है कि ग्राम सरहद मौजा सेवाड़ी के खसरा संख्या 1364, 1365, 1366 जुमले रकबा 4.54 हेक्टेयर की भुमि मे रूगा, मोहन, जतनो का बसामलाती 1/2 के हिस्सेदार व भरत कुमार 1/2 के हिस्सेदार व हकदार रहे हैं। इस प्रकार रूगा का 1/6, मोहन का 1/6 व जतनो का 1/6 हिस्सा वजूद में रहा है। जतनो ने अपना हिस्सा रूगा जो अपीलांट है, को जरिये बख्शीश दे दिया। इस तरह 2/6 हिस्सा रूगा (अपीलांट) का है व 1/6 हिस्सा मोहन (रेस्पोंडन्ट संख्या 1) का है, भरत का 1/2 हिस्सा है। पक्षकारान द्वारा आपसी रजामंदी से वाद की प्राथमिक डिक्री करवाई व यह तय रहा कि अपीलांट का 2/6 हिस्सा है व भरत का भी 1/2 हिस्सा है। इस कारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

दक्षिण रोड़ व पूर्वी रास्ते पर इनका ज्यादा हिस्सा रहेगा व खाता भी अलग–अलग रहेगा। इस अनुसार हिस्सा अपना अलग–अलग करने की निर्णय व डिक्री प्राप्त की परन्तु अंतिम डिक्री विधि के विरूद्ध पारित की व तयसुदा के अनुसार नहीं की गई व मोहनलाल ने धोखे में रखकर अपना पक्ष में बहुमुल्य व अच्छी दो रोड़ की भूमि अंतिम डिक्री के जरिये प्राप्त की। इस कारण अंतिम निर्णय व डिक्री विधि, तथ्य के विरूद्ध धोखे से प्राप्त की हैं। जिससे व्यथित होकर उक्त अपील प्रस्तुत की जा रही हैं कि खसरा नम्बर 1366/1 व 1365/1 की हल्का पटवारी से रिपोर्ट तैयार करवाई है व तहसीलदार ने जो रिपोर्ट पेश की हैं यह धोखे से तैयार शुदा है व फर्जी है। रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 का 1/6 हिस्सा ही है परन्तु खसरा संख्या 1366 व 1365 की महत्वपूर्ण सम्पूर्ण भूमि की बंटवाड़ा रिपोर्ट अपने नाम से तैयार करवा दी गई जो शून्य है व वास्तविकता से परे है। दिनांक 20.07.2011 को पटवारी सेवाड़ी द्वारा बंटवाड़ा रिपोर्ट तैयार कर पेश की गई हैं। हल्का पटवारी बंटवाडा रिपोर्ट तैयार करने हेतु अधिकारिता नहीं रखते हैं। बंटवाड़ा प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बाली को मौके पर जाकर तैयार करना चाहिये था, जो बंटवाड़ा तहसीलदार द्वारा नहीं किया गया है। बंटवाड़ा पटवारी द्वारा किया गया व बंटवाड़ा रिपोर्ट तहसीलदार को प्राप्त होने पर सीधे एस.डी.ओ. बाली को प्रेषित की गई। हल्का पटवारी अथवा तहसीलदार मौके पर नहीं गया, न ही मौके पर पैमाईश की गई, न ही पत्थरगढ़ी की गई। न ही मुटाव का स्पष्टीकरण किया गया, न ही ऐसी कोई रिपोर्ट ही है कि पैमाईश की शुरूआती मुटाव कौनसा है व कहां स्थित है, कौनसी जरीब पैमाइश में काम ली गई, किसको किस दिशा की कितनी जरीब चौडाई लम्बाई की भूमि प्राप्त हुई। इस तरह से बंटवाड़ा रिपोर्ट वास्तव में मौके पर तैयार ही नहीं की गई। हल्का पटवारी ने पटवारघर मे बैठकर रिपोर्ट तैयार की हैं व यह रिपोर्ट फर्जी है। जिससे वादी को कोई अधिकार पैदा नहीं होते हैं। रिपोर्ट तैयार करते समय अपीलांट को नहीं बुलवाया गया, न ही इनके सामने पैमाईश ही की गई। यदि वास्तव में पैमाईश की जाती तो आवश्यक रूप से अपीलांट को बुलाया जाता व बाई मिट्स एण्ड बाउन्ड्स बंटवाड़ा किया जाता। इस तरह से नाप–चौक कर बंटवाड़ा नहीं किया गया है व रेवेन्यू बोर्ड द्वारा बनाए गये नियमों से बाहर जाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट बनाई गई हैं। रिपोर्ट पालना बटवाड़ा फर्जी व धोखे से तैयारशुदा है। जिससे अपीलांट बाध्य नहीं है। वाद की प्राथमिक डिक्री बटवाड़ा बाबत तैयार की गई। परन्तु हल्का पटवारी ने अपीलांट का हिस्सा अलग नहीं किया व अपीलांट का हिस्सा भरतकुमार के साथ रखा जो हिस्सा साथ मे रखे जाने का कोई औचित्य नहीं हैं। जब इन पक्षकारों के बीच में बंटवाड़ा का वाद निर्णय व डिक्री किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

गया तो माफिक कानून अलग हिस्सा रखना चाहिये था व अलग हिस्सा का तकासमा कानूनन आवश्यक भी था परन्तु पालना रिपोर्ट आधी अधूरी थी। रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 विशिष्ठ लोकेशन का हिस्सा प्राप्त कर अलग खसरा अपना प्राप्त कर अन्य पक्षों को विवाद में डाल दिया है व कृषि भूमि सामलाती रखी है। रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ने पूरे अपने 1/6 हिस्से को पूर्व व दक्षिण दोनों रोड़ पर प्राप्त किया है, जो देखने मात्र से धोखा होना स्पष्ट है। अब रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 अपनी इस कारस्तानी की वजह से उक्त विशिष्ठ हिस्सा बेचने व हस्तान्तरण करने हेतु भी आमादा है। अपीलांट को इस निर्णय व डिक्री की जानकारी तब प्राप्त हुई जब रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ने विशिष्ठ हिस्से पर मेड़बंदी करने की कोशिश की व तत्पश्चात दिनांक 11.09.2012 को अपीलांट को कहा कि इस हिस्से पर अपीलांट नही आ सकता, मेरे पक्ष में बंटवाड़ा की अंतिम डिक्री हुई है। तब अपीलांट अधिवक्ता के पास बाली गया व इस संबंध में जानकारी प्राप्त की व जानकारी होते ही उसी दिन दिनांक 11.9.2012 को नकल दरख्वास्त पेश की। जो नकल दिनांक 13.9.2012 को प्राप्त हुई। तत्पश्चात अपीलांट बुखार से पीड़ित हो गया व काफी दिन बिस्तर पर रहा व तत्पश्चात रूपयों का बंदोबस्त कर पाली आया व अपील हेतु अधिवक्ता नियुक्त किया। तत्पश्चात अपील तैयार होकर श्रीमान के समक्ष पेश की जा रही हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय में अपीलांट वादी द्वारा रेस्पोंडेंट्स के विरूद्ध वादग्रस्त अविभाजित सहखातेदारी भूमि के बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 17.08.2011 द्वारा अंतिम डिक्री किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा दिनांक 06.11.2012 को हस्तगत अपील विलंब के साथ प्रस्तुत की। अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 के प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि अपीलांट ग्रामीण परिवेश का वृद्ध व्यक्ति है। जो बीमार होने के कारण अधिवक्ता के संपर्क में नहीं रह सका। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी दिनांक 11.09.2012 को रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा विशिष्ट हिस्से पर मेडबंदी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

करने की कोशिश करने पर हुई। तत्पश्चात अपीलांट द्वारा नकल आदि प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की गई। अतः विलंबकाल माफ करावें।

2. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट है कि अपीलांट अक्सर बीमार रहा है। साथ ही हमारे विनम्र मत में प्रकरण का निर्णयन कठोर तकनीकी प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं कर गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। जिसके लिए उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाना अपेक्षित है। अतः विलंबकाल सद्भाविक व युक्तियुक्त होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विलंबकाल माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

3. अधीनस्थ विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 21.06.2011 को प्राथमिक डिक्री पारित की गई तथा तहसीलदार को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित करने के लिए निर्देशित किया गया। विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि पटवारी सेवाड़ी द्वारा तहसीलदार बाली को दिनांक 20.07.2011 को पत्र प्रेषित करते हुए प्रकरण में वादग्रस्त आराजी का मौके अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाडा कर विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा तहसीलदार बाली को प्रेषित किया गया। जिसे तहसीलदार बाली द्वारा पत्र दिनांक 25.07.2011 द्वारा विचारण न्यायालय को प्रेषित किया गया। विभाजन प्रस्ताव व नक्शा पर पटवारी के हस्ताक्षर है तथा तहसीलदार बाली द्वारा प्रमाणित करते हुए हस्ताक्षर किए। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रकरण में संबंधित पटवारी द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है। जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री पारित की गई हैं। राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 में यह आज्ञापक विधिक प्रावधान है कि धारा 53 के प्रकरणों में प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के लिए संबंधित तहसीलदार ही सक्षम है। तहसीलदार से निम्न अधिकारी विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के लिए सक्षम नहीं हैं। संबंधित तहसीलदार द्वारा समस्त सहखातेदारान को सूचित करते हुए स्वयं मौके पर उपस्थित होकर स्वयं द्वारा विभाजन प्रस्ताव मौके पर तैयार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया जाना आज्ञापक प्रावधान है। हस्तगत प्रकरण में उक्त आज्ञापक विधिक प्रावधान की समुचित अनुपालना नहीं हुई हैं तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस पर गौर नहीं करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर कानूनन भूल की हैं। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री समर्थन योग्य नहीं हैं।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारे विनम्र मत में अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

अपास्त करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णयन के लिए निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट्स अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर न्यायालय सहायक कलक्टर बाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 69/2009 बअनवान मोहन बनाम रूगा वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.08.2011 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में संबंधित तहसीलदार द्वारा सभी सहखातेदारान को विधिवत सूचित करते हुए स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं इसकी अनुपालना में विभाजन के प्रकरणों में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों की अनुपालना करवाते हुए विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्ता पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 21.07.2025 को असालतन/वकालतन न्यायालय सहायक कलक्टर बाली में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 10.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पाली

Scanned with OKEN Scanner